31.5.18

पत्रावली कोर्ट कैम्प हमीरगढ़ पर पेश। फैसला अलग से लिखकर जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प हमीरगढ

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः– 28/18

1.–श्री रतनलाल पिता श्री माना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ

––प्रार्थीगण

बनाम

1:– श्री श्रीकिशन पिता श्री घासी अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ

2.– श्री सीताराम पिता श्री मेघा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ

3.– श्री लक्ष्मण पिता मेघा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ

4:– श्री तुलछीराम पिता श्री नाना अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ

5:– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब हमीरगढ।

––विपक्षीगण

––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः–31/05/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प हमीरगढ पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1717/3, 1707/1, 4032/1716 कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/04/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 1717/3, 1707/1, 4032/1716 कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 500/–रू0 (अक्षरे– पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ